न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 139 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. दुर्गाराम पुत्र भूराराम
2. जेठाराम पुत्र पेमाराम

   जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. लिखमाराम पुत्र हरदानराम
2. डूंगराराम पुत्र लाभूराम
3. चेनाराम लाभूराम
4. अणसीदेवी पत्नी खरताराम
5. उदाराम पुत्र खरताराम
6. नारणाराम पुत्र खरताराम
7. बुधाराम पुत्र खरताराम
8. हेमाराम पुत्र खरताराम
9. काछूराम पुत्र रामजीराम
10. भीखाराम पुत्र रामजीराम
11. आईदानराम पुत्र टीकमाराम
12. मूलाराम पुत्र टीकमाराम
13. हेमी पत्नी टीकमाराम
14. गिरधारीराम पुत्र हरजीराम

    जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण – एकतरफा**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11.10.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के [illegible] श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के [illegible] प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत: 2073-[illegible]76 जमाबन्दी 2078 ([illegible]2021) से स्थायी सरहद मौजा देवलनगर के खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 4.8967 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व

उपखण्ड अधिकारी,
गुड़ामालानी

पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमवन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा देवलनगर के खेत खसरा नम्बर 87 रकबा 4.8967 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...11/10/22... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:33 IST
Reason: SelfAttested